भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे. नो./29/2021 **दिनांकः 17 मार्च, 2021**

प्रेस नोट

विषयः दिनांक 21.04.2021 को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने के लिए केरल से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन -तत्संबंधी।

केरल से निर्वाचित राज्यसभा के 03 सदस्यों की पदावधि अप्रैल, 2021 में उनके सेवानिवृत्त होने के कारण समाप्त होने वाली है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	**सदस्य का नाम**	**सेवानिवृत्ति की तारीख**
1.	अब्दुल वहाब	21.04.2021
2.	के.के. रागेश	
3.	वायालार रवि	

2. आयोग ने उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए केरल से राज्य सभा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित करवाने का निर्णय लिया है:-

क्र. सं.	**कार्यक्रम**	**दिन एवं तारीख**
1.	अधिसूचनाएं जारी करना	24 मार्च, 2021 (बुधवार)
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	31 मार्च, 2021 (बुधवार))
3.	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा	03 अप्रैल, 2021 (शनिवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	05 अप्रैल, 2021 (सोमवार)
5.	मतदान की तारीख	12 अप्रैल, 2021 (सोमवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
7.	मतगणना	12 अप्रैल, 2021 (सोमवार) अपराह्न 5.00 बजे से
8.	वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	16 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)

3. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-

I. निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा।

II. निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-

(क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

(ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगें।

III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के कोविड-19 संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी।

4. मुख्य सचिव, केरल को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उक्त द्विवार्षिक निर्वाचन करवाने के लिए व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

5. इसके अतिरिक्त, आयोग ने निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल को प्रेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया है।

ह./-

(प्रफुल्ल अवस्थी)

अवर सचिव